न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 138/2023
ऑनलाईन नम्बर 2023/267 निर्णय दिनांक 23.9.2024

1. गायत्री देवी पत्नि आशाराम 2. मंजूदेवी पत्नि नानूराम 3. सलोचना पत्नि मोहनराम जातिगण जाट निवासीगण बींझासर तहसील श्रीडूंगरगढ़, जिला बीकानेर

—प्रार्थीगण—

बनाम

राजस्थान सरकार तहसीलदार (राजस्व), श्रीडूंगरगढ़ ।

—अप्रार्थी—

उपस्थितिः—

1. श्री राजूराम बाना अभिभाषक प्रार्थी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

प्राथर्ना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू—राजस्व अधिनियम 1956।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र निम्न आधारो पर सादर प्रस्तुत कि प्रार्थीगण के नाम से खातेदारी खेत खसरा नम्बर 477 तादादी 13.6600 हैक्टेयर रोही बींझासर में स्थित है जिसका सीमाज्ञान दिनांक 15.06.2023 को तहसीलदार श्रीडूगरगढ़ के आदेश की पालना में किया गया था। उक्त सीमाज्ञान रिर्पोट में प्रार्थीगण के खेतो की भूमि दबी हुई पाई गई है। उक्त दबी हुई भूमि की पत्थरगढी करवाकर नयी सीमा मौके पर राजस्व नक्शे के अनुसार कायम की जानी है जिससे प्रार्थी की भूमि की सीमाएं राजस्व नक्शे के अनुसार कायम की जा सके। प्रार्थी द्वारा के खेत का सीमाज्ञान करवाने के बाद भी आज तक नयी सीमा सीमाज्ञान के अनुसार कायम नही की है प्रार्थी अपने खेत की राजस्व रिकार्ड के अनुसार सीमाएं कायम करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी के खेत की भूमि दबी हुई होने से आगे बरसात का मौसम शुरू होने से पूर्व नई सीमा कायम करवाई जानी अत्यन्त आवश्यक है इसलिए आज ही तहसीलदार को राजस्व नक्शा के अनुसार पत्थरगढ़ी करवाने का आदेश जारी किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी की भूमि रोही बींझासर में अवस्थित है जो श्रीमान्जी के क्षेत्राधिकार में है। प्रार्थना पत्र श्रीमानजी के श्रवणाधिकार का है। जो जानकारी के अन्दर मियाद एंव पूर्ण न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान् जी से निवेदन है कि प्रार्थीगण के नाम से खातेदारी खेत गत खसरा नम्बर 477 तादादी 13.6600 हैक्टेयर रोही बींझासर का सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढ़ी करने का आदेश जारी करने की कृपा करें ।

प्रार्थीगण के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पैरोकारराज ने जवाब पेश किया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षे में स्टेट को प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नम्बर 477 तादादी 13.6600 हैक्टेयर रोही बींझासर तहसील श्रीडूंगरगढ की खातेदारी प्रार्थीगण की पृथक से दर्ज है। खसरा नंबर 477 के सीमाचिन्ह जो नक्शे में मौजदू है उनके आधार पर अथवा मौके के अनुसार प्रार्थी की उपस्थिति में सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ को 1000/—रू. की कोस्ट पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। फीस कमिश्नर प्रार्थी द्वारा वहन की जावेगी। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ नियमानुसार राशि राजकोष में प्रार्थी से जमा कर भूमि की पत्थरगढ़ी करवाना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 23.9.2024 को [illegible] शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.10.09 12:21:54 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़